राजस्व लोक अदालत केम्प कालूडी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

2018/01273

मुकदमा न0 107/2018

वादीगण :– 1 महेन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराज सिंह निवासी वरिया भगजी

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. ग्राम पंचायत कालूडी

2.तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–11.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कालूडी प्रस्तुत की गई है।

वादीगण ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम वरीया भगजी के खसरा न0 117, 143, 448/119, 449/259, 450/261 रकबा 137.00 बीघा मे वादीगण के पिता की संयुक्त खातेदारी खेत है। वादीगण के पिताजी फौतगी म्यूटेशन संख्या 202 भरते समय लिपिकीय भूल से वादीगण का नाम मेहन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराजसिंह की बजाय मैनेजरसिंह, पूर्णसिंह पुत्र पूंजा दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम मैनेजरसिंह, पूर्णसिंह पुत्र पूंजा की जगह शुद्व नाम मेहन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराजसिंह करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड ब्यानकर्ता महेन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह के गवाह ब्यान व पटवारी कालूडी/आर.आई तिलवाडा व उपतहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वरीया भगजी के खसरा वरीया भगजी के खसरा न0 117, 143, 448/119, 449/259, 450/261 रकबा 137.00 बीघा में वादीगण का अशुद्व नाम मैनेजरसिंह, पूर्णसिंह पुत्र पूंजा की जगह शुद्व नाम मेहन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराजसिंह करने की सिफारिश की है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादीगण मैनेजरसिंह, पूर्णसिंह पुत्र पूंजा की जगह शुद्व नाम मेहन्द्रसिंह, स्वरूपसिंह पुत्र पूंजराजसिंह नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प....कालूडी...

Scanned by CamScanner